न्यायालय –अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, खेतड़ी जिला झुन्झुनू (राज0)

पीठासीन अधिकारी	–	**श्रीमती हिमानी जैन (आर.जे.एस)**
निर्णय दिनांक	–	**11.08.2026**
नियमित आपराधिक प्रकरण संख्या	–	**604 / 2021**
सीआईएस नंबर	–	**604 / 2021**
सीएनआर नंबर	–	**RJJH070012912021**

राजस्थान राज्य बनाम अनिल उर्फ सुनील

प्र0 सू0 रिपोर्ट सं. – 329 / 2021, थाना खेतड़ी

अपराध अन्तर्गत धारा– 332, 353, 289 भारतीय दण्ड संहिता

भाग–प्रथम

A

परिवादी	सुगन सिंह पुत्र नानडराम, उम्र 42 वर्ष, निवासी ढाणा थाना सिंघाना, हाल एचसी, 2514, पुलिस थाना खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं (राज0)
प्रस्तुतकर्ता	राजस्थान राज्य जरिये अभियोजन अधिकारी श्री कृष्ण कुमार
अभियुक्त का नाम व पता	अनिल उर्फ सुनील पुत्र बुद्धराम, उम्र 21 वर्ष, निवासी कुडी की ढाणी, तन बांसियाल, थाना खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं (राज0)
अधिवक्ता अभियुक्त	श्री महिपाल दौराता

B

अपराध की दिनांक	02.05.2021
प्रथम सूचना रिपोर्ट की दिनांक	02.05.2021
प्रसंज्ञान की तिथि	09.11.2021
आरोप विरचित कर सुनाये जाने की दिनांक	20.11.2021
साक्ष्य प्रारंभ की दिनांक	22.05.2024
निर्णय आरक्षित किये जाने की दिनांक	03.08.2026
निर्णय दिनांक	11.08.2026
दण्डादेश दिनांक	––

C
अभियुक्त का विवरण

क्र. सं	अभियुक्त का नाम	गिरफ्तारी की दिनांक	जमानत पर रिहा होने की दिनांक	अपराध अन्तर्गत धारा	दोषमुक्त अथवा दोषसिद्ध	पारित दण्डादेश	धारा 428 जाब्ता फौजदारी के उद्देश्य के लिये अभियुक्त द्वारा विचारण के दौरान अभिरक्षा में व्यतीत की गई अवधि
01	अनिल उर्फ सुनील पुत्र बुद्धराम	03.05.2021	13.05.2021	धारा 332, 353, 289 भारतीय दण्ड संहिता	दोषमुक्त	——	——

भाग द्वितीय
अभियोजन / बचाव / न्यायालय गवाहान की सूची
अ–अभियोजन गवाहान

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
पीडब्ल्यू 01	कप्तान सिंह	आहत, चश्मदीद साक्षी व फर्द साक्षी
पीडब्ल्यू 02	डॉ. अक्षय शर्मा	चिकित्सकीय साक्षी
पीडब्ल्यू 03	सुगन सिंह	परिवादी व चश्मदीद साक्षी
पीडब्ल्यू 04	चोखाराम	चश्मदीद साक्षी
पीडब्ल्यू 05	कैलाश कुमार	अनुसंधान अधिकारी
पीडब्ल्यू 06	दिनेश कुमार	फर्द साक्षी

ब–बचाव गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
——	–निल–	——

स–न्यायालय गवाह

रैंक	नाम	साक्ष्य का प्रकार(चश्मदीद गवाह, पुलिस गवाह, विशेषज्ञ गवाह, चिकित्सीय गवाह, पंच गवाह, अन्य गवाह)
——	–निल–	——

अभियोजन / बचाव / न्यायालय प्रदर्श

अ–अभियोजन प्रदर्श

क्रम संख्या	प्रदर्श नंबर	विवरण
1	प्रदर्श पी–1	नक्शा मौका घटनास्थल मय हालात मौका
2	प्रदर्श पी–2	चोट प्रतिवेदन कप्तान सिंह
3	प्रदर्श पी–3	तहरीरी रिपोर्ट
4	प्रदर्श पी–4	चाक प्रथम सूचना रिपोर्ट
5	प्रदर्श पी–5	रोजनामचा की प्रति
6	प्रदर्श पी–6	फर्द गिरफ्तारी अनिल उर्फ सुनिल
7	प्रदर्श पी–7	मुलजिम का आपराधिक रिकॉर्ड
8	प्रदर्श पी–8	एफआईआर नं. 315 / 2021, थाना खेतड़ी की प्रमाणित प्रति
9	प्रदर्श पी–09	एसपी झुंझुनूं का आदेश दिनांक 08.03.2019 का पदस्थापन्न आदेश
10	प्रदर्श पी–10	एसपी झुंझुनूं का आदेश दिनांक 09.10.2016 का पदस्थापन्न आदेश

ब–बचाव प्रदर्श

क्रम संख्या	प्रदर्श नंबर	विवरण
——	——	——

स–न्यायालय प्रदर्श

क्रम संख्या	प्रदर्श नंबर	विवरण
——	——	

द–भौतिक वस्तुएं

क्रम संख्या	भौतिक वस्तु नंबर	विवरण
––	––	–निल–

–:: निर्णय :: **दिनांक 11/08/2026**

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि परिवादी सुगन सिंह पुत्र नानडराम, उम्र 42 वर्ष, निवासी ढाणा थाना सिंघाना, हाल एचसी, 2514, पुलिस थाना खेतड़ी, जिला झुन्झुनूं (राज0) ने पुलिस थाना खेतड़ी के समक्ष एक तहरीरी रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि "आज दिनांक 02.05.2021 को समय 06–09 एएम पर पर एचसी सुगन सिंह, नंबर 2514, कप्तान सिंह कांस्टेबल 262, चोखाराम कांस्टेबल 1002, श्री दिनेश कुमार कांस्टेबल 1316. श्री दिनेश कुमार कांस्टेबल 952 मय सरकारी बोलेरो गाड़ी के वास्ते थाना हाजा के प्रकरण संख्या 215/21, 275/21, 307/21, 308/21 में वांछित मुलजिमानों की तलाश हेतु थाना से रवाना होकर समय 7.15 एएम पर मुलजिम सुनिल के घर ढाणी कुडी की, तन बांसियाल पहुंचे तो सुनिल कुमार घर के मैन चोक में बंधे अपने पालतु कुत्ते के पास खड़ा था सुनिल कुमार को एचसी मय जाता ने बाहर आने की आवाज लगाई तो सुनिल कुमार ने बावर्दी पुलिस जाप्ता को देखकर अपने पालतु कुत्ते की बेल को खोलकर हमारी तरफ अंगुली का इशारा कर कुत्ते को हमारी तरुफ दौड़ाया। अपने मालिक सुनिल का इशारा समझकर कुत्ते ने हमारे ऊपर हमला कर हमराही कांस्टेबल कप्तान सिहं के पैर की नली पर बटका भर लिया, जिसे कुत्ते द्वारा दांतो से काटने के कारण खून आने लगा तथा मौका पाकर सुनिल वहां से भाग गया। सुनिल कुमार को इस बात का ज्ञान था की उसका पालतु कुत्ता उसका इशारा पाकर पुलिस पर हमला करेगा, जिससे किसी की जान भी जा सकती है तथा पुलिस के राजकार्य में बाधा उत्पन्न की व राजकार्य में बाधा उतपन्न करते हुए अपने पालतु कुते को इशारा कर हमला करवाया। ततपश्चात सुनिल को पीछा कर पकड़ा गया तो आग बबूला होकर मरने–मारने पर उतारू हो गया, जिसको एचसी मय जाप्ता की

सहायता से मौके पर धारा 151 सीआरपीसी में अदम अदखाल गिरफ्तार किया गया। आदि'' .....। आदि तहरीरी रिपार्ट पर प्रथम सूचना रिपोर्ट 329 / 2021 अन्तर्गत धारा 332, 353, 289 भारतीय दण्ड संहिता दर्ज की गई और बाद अनुसंधान अभियुक्त अनिल उर्फ सुनील के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 332, 353, 289 भारतीय दण्ड संहिता मे आरोप पत्र पेश किया जिस पर उक्त धाराओं के तहत प्रसंज्ञान लिया जाकर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया।

2. अभियुक्त को दिनांक 20.11.2021 को धारा 332, 353, 289 भारतीय दण्ड संहिता में आरोप विरचित कर सुनाया व समझाया गया तो अभियुक्त ने आरोपों को अस्वीकार कर अन्वीक्षा चाही।

3. अभियोजन पक्ष की ओर से प्रकरण को साबित करने के लिये मौखिक साक्ष्य में पृष्ठ संख्या 02 पर भाग द्वितीय ''अ'' में वर्णित गवाहों के बयान लेखबद्ध करवाये गये व पृष्ठ संख्या 03 पर भाग द्वितीय ''अ'' में वर्णित दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये।

4. अभियुक्त के बयान मुलजिम लिए गए, जिसमें अभियुक्त ने निर्दोष होने का कथन करते हुए अभियोजन साक्ष्य को गलत होना बताया तथा प्रतिरक्षा साक्ष्य पेश नहीं करनी चाही, जिस पर प्रतिरक्षा साक्ष्य समाप्त की गई।

5. उभयपक्ष के तर्को पर गंभीरतापूर्वक चिंतन व मनन किया गया एवं पत्रावली का अ़द्योपान्त अध्ययन व अवलोकन किया। न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिन्दु यह है–

- क्या अभियुक्त अनिल उर्फ सुनील ने दिनांक 02.05.2021 को समय सुबह करीब 7.15 एएम पर मौजा ढाणी कुडी की, तन बांसियाल में परिवादी सुगनसिंह, एचसी 2514, कांस्टेबल कप्तान, चोखाराम, दिनेश कुमार नंबर 1316 व दिनेश कुमार नंबर 952 जो वक्त घटना लोकसेवक होकर अपने लोक कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे, तब अपने पालतू कुत्ते को खोलकर उनकी तरफ अंगुली का इशारा किया एवं इशारा समझकर कुत्ते ने उन पर हमला कर दिया एवं कप्तान सिंह के पैर की नली पर बटका भर लिया तथा उनके लोक कर्तव्य के निर्वहन में बाधा पहुंचाई और इस प्रकार उन्हें भयोपरत किया और इस प्रकार जीव जंतु कुत्ते से संकट से बचाने की व्यवस्था का लोप किया ?

- यदि हां तो उचित दण्ड क्या हो ?

6. दौराने बहस विद्वान अभियोजन अधिकारी का तर्क रहा है कि अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत मौखिक व दस्तावेजी साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध युक्तियुक्त संदेह से परे साबित हैं। अभियुक्त ने कोई बचाव साक्ष्य पेश नहीं किया। गवाहान के बयानों में मामूली विरोधाभास संभव है। अतः अभियुक्त को आरोपित अपराध में दोषी करार दिया जावे।

7. इसके विपरीत विद्वान अधिवक्ता अभियुक्त ने कथन किया कि हस्तगत प्रकरण में अभियुक्त पर ऐसा कोई आरोप नहीं है कि अभियुक्त ने परिवादी पक्ष के साथ कोई मारपीट अथवा गाली–गलौच की हो। जिस तथाकथित कुत्ते से कटवाने का आरोप लगाया गया है, वह कुत्ता आरोपी का हो, इस संबंध में कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। कुत्ता किस नस्ल का था, किस रंग का था, यह तथ्य भी वर्णित नहीं है। अभियुक्त द्वारा उक्त कुत्ते को इशारा देकर परिवादी पक्ष को कटवाया गया हो, इस संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है। अभियोजन का मामला साबित नहीं है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त घोषित किया जावे।

8. उभय पक्ष के तर्को पर गंभीरतापूर्वक चिंतन व मनन किया गया एवं पत्रावली का अ़द्योपान्त अध्ययन व अवलोकन किया।

विचारणीय बिन्दु संख्या 1

9. इस विचारणीय बिन्दु के तहत् न्यायालय को यह देखना है कि क्या अभियुक्त अनिल उर्फ सुनील ने दिनांक 02.05.2021 को समय सुबह करीब 7.15 एएम पर मौजा ढाणी कुडी की, तन बांसियाल में परिवादी सुगनसिंह, एचसी 2514, कांस्टेबल कप्तान, चोखाराम, दिनेश कुमार नंबर 1316 व दिनेश कुमार नंबर 952 जो वक्त घटना लोकसेवक होकर अपने लोक कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे, तब अपने पालतू कुत्ते को खोलकर उनकी तरफ अंगुली का इशारा किया एवं इशारा समझकर कुत्ते ने उन पर हमला कर दिया एवं कप्तान सिंह के पैर की नली पर बटका भर लिया तथा उनके लोक कर्तव्य के निर्वहन में बाधा पहुंचाई और इस प्रकार उन्हें भयोपरत किया और इस प्रकार जीव जंतु कुत्ते से संकट से बचाने की व्यवस्था का लोप किया।

10. इस संबंध में पत्रावली का अवलोकन किया जाए तो हस्तगत प्रकरण का उद्भव परिवादी सुगनसिंह द्वारा दिनांक 02.05.2021 को पुलिस थाना खेतड़ी

के समक्ष प्रस्तुत तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–3 के आधार पर हुआ है, जिसमें उसने सारतः यह कथन किया है कि दिनांक 02.05.2021 को समय 06–09 एएम पर पर एचसी सुगन सिंह, नंबर 2514, कप्तान सिंह कांस्टेबल 262, चोखाराम कांस्टेबल 1002, श्री दिनेश कुमार कांस्टेबल 1316. श्री दिनेश कुमार कांस्टेबल 952 मय सरकारी बोलेरो गाड़ी के वास्ते थाना हाजा के प्रकरण संख्या 215/21, 275/21, 307/21, 308/21 में वांछित मुलजिमानों की तलाश हेतु थाना से रवाना होकर समय 7.15 एएम पर मुलजिम सुनिल के घर ढाणी कुडी की, तन बांसियाल पहुंचे तो सुनिल कुमार घर के मैन चोक में बंधे अपने पालतु कुत्ते के पास खड़ा था। सुनिल कुमार को एचसी ने बाहर आने की आवाज लगाई तो सुनिल कुमार ने बावर्दी पुलिस जाप्ता को देखकर अपने पालतु कुत्ते की बेल को खोलकर उनकी तरफ अंगुली का इशारा कर कुत्ते को उनकी तरुफ दौड़ाया। अपने मालिक सुनिल का इशारा समझकर कुत्ते ने उनके ऊपर हमला कर हमराही कांस्टेबल कप्तान सिहं के पैर की नली पर बटका भर लिया, जिसे कुत्ते द्वारा दांतो से काटने के कारण खून आने लगा तथा मौका पाकर सुनिल वहां से भाग गया। सुनिल कुमार को इस बात का ज्ञान था कि उसका पालतु कुत्ता उसका इशारा पाकर पुलिस पर हमला करेगा, जिससे किसी की जान भी जा सकती है तथा पुलिस के राजकार्य में बाधा उत्पन्न की व राजकार्य में बाधा उतपन्न करते हुए अपने पालतु कुते को इशारा कर हमला करवाया। तत्पश्चात सुनिल को पीछा कर पकड़ा गया तो आग बबूला होकर मरने–मारने पर उतारू हो गया, जिसको एचसी मय जाप्ता की सहायता से मौके पर धारा 151 सीआरपीसी में अदम अदखाल गिरफ्तार किया गया।

11. इस संबंध में अभियोजन पक्ष के गवाहों का अवलोकन करे तो परिवादी गवाह पीडब्ल्यू 1 कप्तान सिंह जो प्रकरण में मजरूब भी है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि दिनांक 02.05.2021 को समय 06.09 एएम पर वह और सुगनसिंह एचसी, दिनेश सिपाही नंबर 1316, दिनेश कुमार नंबर 952, चोखाराम सिपाही मय सरकारी बोलेरो वाहन से थाना से मुकदमा नंबर 275, 315, 307, 308/2021 में मुलजिमों को तलाश हेतु थाने से रवाना होकर 7.15 एएम पर मुलजिम सुनिल उर्फ अनिल के घर पर ढाणी कुडी से रवाना होकर बांसियाल पहुंचे। सुनिल कुमार घर के मैन चौक में अपने पालतू कुत्ते के पास

में खड़ा था जो उन्हें बावर्दी देखकर पालतू कुत्ते को अंगुली का इशारा उनकी तरफ करते हुए अपने कुत्ते की चैन को खोलकर उनकी तरफ छोड़ दिया। कुत्ता उनकी तरफ दौड़कर आया व उसके बाएं पैर की नली पर काट लिया, जिससे अनिल उर्फ सुनील अपने घर से भागने में सफल हो गया था। उसने उनके राजकार्य में बाधा उत्पन्न की। कुछ दूरी पर भागने पर उनकी टीम ने पीछा कर सुनील उर्फ अनिल को धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर थाने पर लाए। उसके शरीर पर आई चोटों का मेडिकल मुआयना हुआ था। उसके सामने अनुसंधान अधिकारी ने घटनास्थल का नक्शा मौका मय हालात मौका प्रदर्श पी–1 बनाया था, जिस पर ए से बी उसके साईन है। गवाह ने जिरह में कथन किया कि थाने में रिपोर्ट उसने नहीं दी थी। कुत्ता देशी पालतु था, परंतु उसे उसका रंग नहीं पता। अनिल उर्फ सुनील के घर पर उसके परिवारजन थे, कौन–कौन थे, उसे नहीं पता। नक्शा मौका बनाते समय वहां पर कोई प्राइवेट व्यक्ति नहीं था। कुत्ते ने उसके दाएं पैर की नली पर बटका खा लिया था।

12. गवाह पीडब्ल्यू 2 डॉ. अक्षय शर्मा ने मुख्य परीक्षा में कथन किया कि दिनांक 02.05.2021 को मजरूब कप्तान सिंह पुत्र बलबीर सिंह के शरीर पर आई चोटों का मेडिकल मुआयना किया था, जिसके शरीर पर कुल दो चोटें थीं। दोनों साधारण व कुन्दालय हथियार से कारित थी। चोटों की अवधि जांच से 12 घंटे की अवधि के भीतर की थी। चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–2 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है व सी से डी आहत का पहचान चिह्न अंकित है। गवाह ने जिरह में इस सुझाव को सही बताया कि उपरोक्त चोटें गिरने–पड़ने से आ सकती है। यह सही है कि उक्त चोटों में कोई खून नहीं बह रहा था।

13. गवाह पीडब्ल्यू 3 सुगनसिंह, जो कि हस्तगत प्रकरण का परिवादी है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि दिनांक 02.05.2021 को सुबह लगभग 6.00 एएम पर वह, कप्तान सिपाही, चोखाराम, दिनेश कानि. 1316, दिनेश कानि. 952 मय सरकारी बोलेरो गाड़ी मुलजिमान की तलाश में गश्त करते हुए थाने से रवाना होकर 7.15 एएम पर कुडी की ढाणी पर मुलजिम सुनील के घर पहुंचे। सुनील घर के चौक के अंदर अपने पालतू कुत्ते के पास खड़ा था, जिसको उसने और जाप्ते ने बाहर आने के लिए आवाज लगाई। सुनील कुमार ने अपने कुत्ते को उनके ऊपर अंगुली का इशारा करके छोड़ दिया।

कुत्ते ने कत्पान के पैर की नली को काट लिया। कप्तान के खून आने लगा। इस प्रकार सुनील ने अपने पालतू कुत्ते को इशारा कर राजकार्य में बाधा डाली। फिर सुनील को पीछा करके उसी दिन पकड़ लिया। फिर उसे धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर थाने में लाकर बंद हवालात किया। इस घटना की उसने पुलिस थाना खेतड़ी में रिपोर्ट प्रदर्श पी–3 दी थी, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। चाक एफआईआर प्रदर्श पी–4 है, जिस पर ए से बी उसके हस्ताक्षर है। कैलाश एएसआई ने उसके सामने घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी–1 बनाया था, जिस पर सी से डी उसके हस्ताक्षर है। गवाह ने जिरह में कथन किया कि अनिल उर्फ सुनील की पुलिस जाप्ते से कोई कार्यवाही नहीं हुई और ना ही कोई गाली–गलौच हुई। कुत्ते की नस्ल देशी थी। वह लोग गेट के बाहर खड़े थे। लोहे का दरवाजा था, गेट खुला था। कुत्ते ने कप्तान सिपाही को काट लिया था। उनके घर से एक ही कुत्ता निकला था। कुत्ते के पहले रस्सी बंधी थी, लेकिन उसे खोल दिया था। कुत्ता जब उनके पास आया, तब उसके गले में रस्सी नहीं थी।

14. गवाह पीडब्ल्यू 4 चोखाराम ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि दिनांक 02.05.2021 को सुगन सिंह हैड कानि. के साथ वह बेल्ट नंबर 1002 और कप्तान, दिनेश, दूसरा दिनेश सिपाही सरकारी बोलेरो गाड़ी से मुलजिमान की तलाश हेतु भिन्न–भिन्न मुकदमों में समय 7.15 एएम पर अनिल उर्फ सुनील के घर बांसियाल कुडी की ढाणी पहुंचे। अनिल उर्फ सुनिल अपने चौक में अपने कुत्ते के साथ खड़ा था। उन्होंने उसको बाहर से आवाज लगाई तो उसने उन्हें देखकर के अपने कुत्ते को खोल दिया और उनके ऊपर हमला करने का इशारा कर दिया। कुत्ता उनकी तरफ दौड़ा और कत्पान सिपाही के बाएं पैर को काट लिया, जिससे कप्तान सिपाही के पैर से खून आने लग गया और अनिल उर्फ सुनील अपने घर से भागने लगा, जिसको घर से थोड़ी दूरी पर ही अनिल उर्फ सुनील को उन्होंने पकड़ लिया था। इस प्रकार अनिल उर्फ सुनील ने उनकी तरफ कुत्ता छोड़कर राजकार्य में बाधा कारित की। गवाह ने जिरह में कथन किया कि यह सही है कि वह मुलजिम को पहले से ही जानता था। कुत्ता कौनसी नस्ल का था, वह नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि कुत्ता पेड़ से बंधा हो, बल्कि सुनील ने कुत्ते

को हाथ से पकड़ रखा था। वह बावर्दी थे, इसलिए सुनील ने कुत्ता उन पर छोड़ दिया। गवाह ने इस सुझाव को गलत बताया कि कप्तान सिपाही मुलजिम अनिल से रंजिश रखता हो, जिस कारण मुलजिम पर यह झूठा केस किया हो।

15. गवाह पीडब्ल्यू 5 कैलाश कुमार जो प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी है, ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि दिनांक 02.05.2021 को समय 06.09 एएम पर सुगन सिंह एचसी के साथ वह, कप्तान, चोखाराम, दिनेश नंबर 1316, सरकारी वाहन से वांछित मुलजिमानों की तलाश हेतु थाने से रवाना होकर 7.15 एएम पर मुलजिम सुनील उर्फ अनिल के घर कुड़ी की ढाणी, बांसियाल पहुंचे। सुनील घर के अन्दर खड़ा था। सुनील के पास पालतू कुत्ता था, जो सुनील के पास खड़ा था। सुगन सिंह एचसी ने सुनील को बाहर से आवाज लगाई। सुनील कुमार ने उन्हें बावर्दी देखकर अपने पालतू कुत्ते की बेल खोल दी और उनकी तरफ इशारा किया। कुत्ते ने उनके ऊपर हमला किया व कप्तान सिंह के पैर पर काट लिया, जिससे कप्तान के पैर से खून आने लग गया। मौका पाकर सुनील भाग गया। सुनील ने राजकार्य में बाधा कारित की। सुनील का पीछा कर उन्होंने पकड़ा। सुनील पुलिस जाप्ते के साथ बदतमीजी करने लग गया। तब मौके पर जाप्ते सहायता से सुनील कुमार को धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर थाने पर लाए और थाने पर बंद हवालात कर थाना के संतरी को सुपुर्द किया। कैलाश एएसआई ने दिनांक 03.05.2021 को उसके व दिनेश नंबर 1316 के समक्ष मुलजिम अनिल उर्फ सुनिल को जरिये फर्द प्रदर्श पी–6 गिरफ्तार किया था, जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर है। उसके सामने घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी–1 बनाया था, जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर है। गवाह ने जिरह में इस सुझाव को स्वीकार किया कि प्रदर्श पी–3 में कुत्ते की नस्ल नहीं लिखी हुई और ना ही कुत्ते की लंबाई–चौड़ाई, रंग लिखा हुआ है। कुत्ता अभियुक्त का पालतु था। यह सही है कि कुत्ता पालतु था, इस बात का कोई दस्तावेज मुलजिम से नहीं लिया था। कुत्ता कौनसी बेल से, कैसी बेल से बंधा हुआ था, उस बेल को जप्त नहीं किया। यह सही है कि उसने तफ्तीश में कुत्ते की फोटो वगैरह नहीं ली। यह सही है कि किसी भी फर्दात पर किसी भी स्वतंत्र गवाह को मौतबीर नहीं बनाया। गवाह ने इस सुझाव को सही बताया

कि अभियुक्त ने उनके साथ कोई मारपीट नहीं की और ना ही कोई गाली–गलौच की।

16. गवाह पीडब्ल्यू 6 दिनेश कुमार पुत्र बीरबलराम ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि दिनांक 02.05.2021 को समय 06.09 एएम पर सुगन सिंह एचसी के साथ वह, कप्तान, चोखाराम, दिनेश नंबर 952, सरकारी वाहन से वांछित मुलजिमानों की तलाश हेतु थाने से रवाना होकर 7.15 एएम पर मुलजिम सुनील उर्फ अनिल के घर कुड़ी की ढाणी, बांसियाल पहुंचे। सुनील घर के अन्दर खड़ा था। सुनील के पास पालतू कुत्ता था जो सुनील के पास खड़ा था। सुगन सिंह एचसी ने सुनिलको बाहर से आवाज लगाई। सुनील कुमार ने उन्हें बावर्दी देखकर अपने पालतू कुत्ते की बेल खोल दी और उनकी तरफ इशारा किया। कुत्ते ने उनके ऊपर हमला किया व कप्तान सिंह के पैर पर काट लिया, जिससे कप्तान के पैर से खून आने लग गया। मौका पाकर सुनील भाग गया। इस सुनिल ने राजकार्य में बाधा कारित की। सुनील का पीछा कर हमने पकड़ा। सुनील पुलिस जाप्ते के साथ बदतमीजी करने लग गया। तब मौके पर जाप्ते सहायता से सुनील कुमार को धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर थाने पर लाए और थाने पर बंद हवालात कर थाना के संतरी को सुपुर्द किया। कैलाश एएसआई ने दिनांक 03.05.2021 को उसके व दिनेश मीणा के समक्ष मुलजिम अनिल उर्फ सुनील को जरिये फर्द प्रदर्श पी–6 गिरफ्तार किया था, जिस पर ई से एफ उसके हस्ताक्षर है। गवाह ने जिरह में कथन किया कि यह सही है कि उसके सामने आईओ ने किसी भी फर्दात पर किसी स्वतंत्र गवाह को मौतबीर नहीं बनाया। यह सही है कि उसने अपने बयानों में कुत्ते की लंबाई, चौड़ाई व नस्ल के बारे में नहीं बताया। यह सही है कि उसके सामने कुत्ते को बांधने वाली बेल को जप्त नहीं किया है। यह सही है कि मुलजिम ने उनके साथ ना तो मारपीट की और ना ही गाली–गलौच की।

17. गवाह पीडब्ल्यू 7 दिनेश कुमार पुत्र राधेश्याम ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया कि दिनांक 02.05.2021 को समय 06.09 एएम पर सुगन सिंह एचसी के साथ वह, कप्तान, चोखाराम, दिनेश नंबर 1316, सरकारी वाहन से वांछित मुलजिमानों की तलाश हेतु थाने से रवाना होकर 7.15 एएम पर मुलजिम सुनिल उर्फ अनिल के घर कुड़ी की ढाणी बांसियाल पहुंचे। सुनील घर के

अन्दर खड़ा था। सुनील के पास पालतू कुत्ता था, जो सुनील के पास खड़ा था। सुगन सिंह एचसी ने सुनिल को बाहर से बावाज लगाई। सुनील कुमार ने उन्हें बावर्दी देखकर अपने पालतू कुत्ते की बेल खोल दी और उनकी तरफ इशारा किया। कुत्ते ने उनके ऊपर हमला किया व कप्तान सिंह के पैर पर काट लिया, जिससे कप्तान के पैर से खून आने लग गया। मौका पाकर सुनील भाग गया। इस सुनील ने राजकार्य में बाधा कारित की। सुनील का पीछा कर उन्होंने पकड़ा। सुनील पुलिस जाप्ते के साथ बदतमीजी करने लग गया। तब मौके पर जाप्ते सहायता से सुनील कुमार को धारा 151 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर थाने पर लाए और थाने पर बंद हवालात कर थाना के संतरी को सुपुर्द किया। कैलाश एएसआई ने दिनांक 03.05.2021 को उसके व दिनेश नंबर 1316 के समक्ष मुलजिम अनिल उर्फ सुनील को जरिये फर्द प्रदर्श पी–6 गिरफ्तार किया था, जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर है। उसके सामने घटनास्थल का नक्शा मौका प्रदर्श पी–1 बनाया था, जिस पर जी से एच उसके हस्ताक्षर है। गवाह ने जिरह में कथन किया कि यह सही है कि उसके सामने आईओ ने किसी भी फर्दात पर किसी स्वतंत्र गवाह को मौतबीर नहीं बनाया। यह सही है कि उसने अपने बयानों में कुत्ते की लंबाई, चौड़ाई व नस्ल के बारे में नहीं बताया। यह सही है कि उसके सामने कुत्ते को बांधने वाली बेल को जप्त नहीं किया है। यह सही है कि मुलजिम ने उनके साथ ना तो मारपीट की और ना ही गाली–गलौच की।

18. उपरोक्त साक्ष्य के प्रकाश में अभियोजन कहानी का अवलोकन किया जाए तो अभियोजन की यह कहानी है कि दिनांक 02.05.2021 को जब तहरीरी रिपोर्ट में अंकित लोकसेवक अपने लोक कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे, तब आरोपी ने अपने पालतु कुत्ते को खोलकर उनकी तरफ अंगुली का इशारा किया और कुत्ते ने इशारा समझकर उनपर हमला कर दिया और उनमें से एक कप्तान सिंह के पैर की नली पर बटका भर दिया। इस संबंध में अभियुक्त पक्ष का यह बचाव रहा है कि अभियुक्त पर ऐसा कोई आरोप नहीं है कि अभियुक्त ने परिवादी पक्ष के साथ कोई मारपीट अथवा गाली–गलौच की हो। जिस तथाकथित कुत्ते से कटवाने का आरोप लगाया गया है, वह कुत्ता आरोपी का हो, इस संबंध में कोई साक्ष्य पत्रावली पर नहीं है। कुत्ता किस नस्ल का था, किस रंग का था, यह तथ्य भी वर्णित नहीं है। अभियुक्त द्वारा

उक्त कुत्ते को इशारा देकर परिवादी पक्ष को कटवाया गया हो, इस संबंध में कोई साक्ष्य नहीं है।

19. अधिवक्ता अभियुक्त को उक्त बचाव के संबंध में तहरीरी रिपोर्ट प्रदर्श पी–3 का अवलोकन किया जाए तो उक्त तहरीरी रिपोर्ट में यह कहीं पर भी अंकित नहीं है कि अभियुक्त अनिल उर्फ सुनील ने पुलिस जाप्ते के साथ किसी प्रकार की कोई गाली–गलौच या मारपीट की हो। गवाह पीडब्ल्यू 6 दिनेश कुमार पुत्र बीरबलराम, पीडब्ल्यू 7 दिनेश कुमार पुत्र राधेश्याम, पीडब्ल्यू 5 कैलाश कुमार, पीडब्ल्यू 1 कप्तान सिंह एवं पीडब्ल्यू 3 सुगन सिंह सभी ने स्वीकार किया है कि अभियुक्त ने उनके साथ कोई भी गाली–गलौच या मारपीट नहीं की। अब जहां तक अभियुक्त पर यह आरोप है कि उसने अपने पालतू कुत्ते से कटवाया तो इस संबंध में सर्वप्रथम यह उल्लेखनीय है कि कथित कुत्ता अभियुक्त के स्वामित्व, कब्जे अथवा नियंत्रण में था, इस संबंध में अभियोजन पक्ष ने कोई स्वतंत्र अथवा विश्वसनीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। स्वयं गवाह पीडब्ल्यू 5 कैलाश कुमार जो अनुसंधान अधिकारी था, उसने यह स्वीकार किया है कि कुत्ता पालतु था, इस संबंध में उसने कोई दस्तावेज प्राप्त नहीं किया। किसी पड़ोसी को भी परीक्षित नहीं करवाया, जो इस तथ्य की पुष्टि करे।कुत्ते की नस्ल, रंग अथवा अन्य पहचान संबंधी विवरण के संबंध में भी अभियोजन के गवाहान ने कथन नहीं किए हैं, जिससे यह अनिश्चित रह जाता है कि घटनास्थल पर उपस्थित कुत्ता अभियुक्त का ही था।

20. यहां यह भी उल्लेखनीय है कि गवाह पीडब्ल्यू 1 कप्तान सिंह ने कथन किया कि अभियुक्त ने कुत्ते की चैन को खोलकर उनकी तरफ छोड़ दिया, परंतु अभियोजन के गवाहान के कथनों के अनुसार कुत्ता जिस जंजीर / चैन से बंधा हुआ बताया गया है, उस चैन को अनुसंधान के दौरान बरामद नहीं किया। स्वयं अनुसंधान अधिकारी गवाह पीडब्ल्यू 5 कैलाश कुमार ने स्वीकार किया कि कुत्ता कौनसी और कैसी बेल से बंधा हुआ था, उसे उसने जप्त नहीं किया। अन्य गवाहान ने भी स्वीकार किया है कि उनके सामने कुत्ते को बांधने वाली बेल को जप्त नहीं किया।

21. इस प्रकरण में यह भी उल्लेखनीय है कि हस्तगत प्रकरण में चिकित्सकीय साक्षी गवाह पीडब्ल्यू 2 डॉ. अक्षय शर्मा को परीक्षित करवाया गया है, जिसने मजरूब कप्तान सिंह के कुल दो चोटें आने का कथन किया है। इस गवाह ने

चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–2 भी प्रदर्शित करवाया है, जबकि अगर चोट प्रतिवेदन प्रदर्श पी–2 का अवलोकन किया जाए तो उसके अवलोकन से यह जाहिर नहीं होता है कि आहत को चोट किस प्रकार आई। स्वयं गवाह ने भी अपने बयानों में कुत्ते के काटने से चोट आने का कथन नहीं किया है। इसके अतिरिक्त सामान्य तौर पर ऐसे मामलों में जो चिकित्सकीय उपचार किया जाता है, उसका भी कोई उल्लेख अभियोजन ने नहीं किया है। अभियोजन की कहानी यह है कि कुत्ते ने आहत के पैर पर काटा, जिससे उसके पैर में खून आने लगा। जैसा कि स्वयं आहत गवाह पीडब्ल्यू 1 कप्तान सिंह, पीडब्ल्यू 6 दिनेश कुमार पुत्र बीरबलराम एवं पीडब्ल्यू 7 दिनेश कुमार पुत्र राधेश्याम ने कथन किया, परंतु गवाह पीडब्ल्यू 2 डॉ. अक्षय शर्मा ने कथन किया कि चोटों में से कोई खून नहीं बह रहा था। इस प्रकार चिकित्सकीय साक्षी के मौखिक साक्ष्य से इस तथ्य की पुष्टि नहीं होती है कि आहत को चोट कुत्ते के काटने से ही आई, क्योंकि यह स्थापित विधिक सिद्धांत है कि किसी शारीरिक क्षति की प्रकृति एवं कारण को सिद्ध करने में चिकित्सकीय साक्ष्य को विशेष महत्व दिया जाता है तथा जहाँ चिकित्सकीय साक्ष्य मौखिक कथानक की पुष्टि नहीं करता अथवा उस पर मौन रहता है, वहाँ अभियोजन कथानक पर संदेह उत्पन्न होना स्वाभाविक है।

22. इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि अभियोजन की सम्पूर्ण कहानी कुत्ते स्वामित्व या नियंत्रण, चैन की बरामदगी तथा चिकित्सकीय पुष्टि तीनों ही महत्वपूर्ण पहलुओं पर अपर्याप्त एवं अविश्वसनीय पाई गई है। यह विधि का सुस्थापित सिद्धांत है कि जहां दो मत संभव हो वहां उस मत को प्राथमिकता दी जाती है जो अभियुक्त के पक्ष में है। इस संबंध में न्यायिक दृष्टांत Kali Ram vs State Of Himachal Pradesh 1973 AIR 2773, से मार्गदर्शन प्राप्त किया गया, जिसमें यह निर्धारित किया गया है कि:–

> Another golden thread which runs through the web of the administration of justice in criminal cases is that if two views are possible on the evidence adduced in the case, one pointing to the guilt of the accused and the other to his innocence, the view which is favorable to the accused should be adopted.

23. हस्तगत प्रकरण में उपरोक्त वर्णित साक्ष्यों के सूक्ष्म परिशीलन से यह स्पष्ट

होता है कि अभियोजन पक्ष अपने कथानक को युक्तियुक्त संदेह से परे सिद्ध करने में सफल नहीं हो पाया है। अभियोजन का प्रकरण यह है कि परिवादी को अभियुक्त के पालतू कुत्ते ने काटा, किन्तु इस कथानक की पुष्टि हेतु अभिलेख पर पर्याप्त एवं विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। अतः उपरोक्त समस्त विवेचन अनुसार हस्तगत प्रकरण में अभियोजन पक्ष संदेह से परे यह साबित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त अनिल उर्फ सुनील ने दिनांक 02.05.2021 को समय सुबह करीब 7.15 एएम पर मौजा ढाणी कुडी की, तन बांसियाल में परिवादी सुगनसिंह, एचसी 2514, कांस्टेबल कप्तान, चोखाराम, दिनेश कुमार नंबर 1316 व दिनेश कुमार नंबर 952 जो वक्त घटना लोकसेवक होकर अपने लोक कर्तव्यों का निर्वहन कर रहे थे, तब अपने पालतू कुत्ते को खोलकर उनकी तरफ अंगुली का इशारा किया एवं इशारा समझकर कुत्ते ने उन पर हमला कर दिया एवं कप्तान सिंह के पैर की नली पर बटका भर लिया तथा उनके लोक कर्तव्य के निर्वहन में बाधा पहुंचाई और इस प्रकार उन्हें भयोपरत किया और इस प्रकार जीव जंतु कुत्ते से संकट से बचाने की व्यवस्था का लोप किया। अतः अभियुक्त अनिल उर्फ सुनील को दोषमुक्त किया जाना उचित प्रतीत होता है।

विचारणीय बिन्दु संख्या 2

24. चूंकि अभियोजन पक्ष अभियुक्त के विरुद्ध आरोप अंतर्गत धारा 332, 353, 289 भारतीय दण्ड संहिता को युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में असफल रहा है। अतः अभियुक्त को दण्डित किए जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

//आदेश//

25. अतः अभियुक्त **अनिल उर्फ सुनील पुत्र बुद्धराम, उम्र 21 वर्ष, निवासी कुडी की ढाणी, तन बांसियाल, थाना खेतड़ी,** जिला झुन्झुनूं (राज0) को आरोपित अपराध धारा 332, 353, 289 भारतीय दण्ड संहिता में साक्ष्य के अभाव में संदेह का लाभ दिया जाकर **दोषमुक्त** घोषित किया जाता है।

26. अभियुक्त इस प्रकरण में न्यायिक अभिरक्षा में है। अभियुक्त को इस प्रकरण में अविलंब रिहा किया जावे। इस आशय की तहरीर जारी हो।

27. अभियुक्तगण द्वारा धारा 437ए दण्ड प्रक्रिया संहिता के तहत् अपीलीय न्यायालय में उपस्थिति हेतु 10,000 / – रूपये का बंध पत्र एवं मुचलका प्रस्तुत किए गए हैं, जो नियमानुसार प्रभावी रहेंगे।

हिमानी जैन
UID NO. RJ01259
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक
मजिस्ट्रेट, खेतडी,
जिला झुन्झुनूं राज0

28. निर्णय आज दिनांक **11.08.2026** को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

हिमानी जैन
UID NO. RJ01259
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक
मजिस्ट्रेट, खेतडी,
जिला झुन्झुनूं राज0